



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 227) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

वित्त विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० रा०वि०आ० (6)का०-39/2018 (पार्ट)-2388—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-रा०वि०आ०(6)का०-39/2018(पार्ट)-1835 दिनांक-20.02.2019 के द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। गठन के समय आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2020 तक निर्धारित था। वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-806 दिनांक-29.01.2020 के द्वारा प्रथम एवं अधिसूचना सं०-6580 दिनांक-31.12.2020 द्वारा द्वितीय अवधि विस्तार किया गया। अवधि विस्तार के उपरान्त आयोग द्वारा दिनांक-31.03.2021 तक अपना अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किया जाना था परन्तु कतिपय कारणों से प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा सका है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 (पाँच वर्ष) तक के लिए अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु षष्ठम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक-30 अप्रैल, 2021 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 227-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>